बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :– 2/अ0 प्र0–2–05/2014 2626 /पटना/दिनांक :– 4-10-24

मो0 शाहिद आजम, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध मंडल कारा, मधेपुरा के कारा भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित आरोप पत्र के आधार पर संकल्प ज्ञापांक 1364 दिनांक 08.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विनय कुमार तिवारी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. मो0 आजम के दिनांक–31.12.2018 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत अधिसूचना संख्या–2082 दिनांक–15.07.2019 द्वारा सम्परिवर्तित कर दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–9742 दिनांक–08.12.2020 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में मो0 आजम के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या–2 प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम से सहमत होते हुए मो0 आजम से विभागीय पत्रांक–952 अनु0 दिनांक–29.07.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

4. मो0 आजम के पत्रांक शून्य दिनांक 15.08.2021 द्वारा द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। मामले का संबंध भवन निर्माण विभाग से होने के कारण इनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन पर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक 785 अनु0 दिनांक 11.04.2022, पत्रांक 1364 दिनांक 11.08.2022 विभागीय पत्रांक 1619 दिनांक 27.09.2022 एवं पत्रांक 1959 दिनांक 16.11.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से वांछित मंतव्य अप्राप्त रहने के कारण मामले की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय कार्यवाही में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस आलोक में श्री आजम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता–2 द्वारा श्री आजम के विरूद्ध गठित आरोप सं0–1 के सदर्भ में उन्हें आंशिक रूप से दोषी होने एवं आरोप सं0–2 आंशिक प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समीक्षोपरान्त श्री आजम के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत इनके विरूद्ध पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षों तक करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 712 अनु0 दिनांक 29.02.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 987 दिनांक 20.06.2024 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

8. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मो0 शाहिद आजम, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेशन नियमावली के नियम 43 (बी) के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से पाँच वर्ष तक दस (10) प्रतिशत की कटौती।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0 प्र0–2–05/2014 2626 /पटना, दिनांक :– 4-10-24

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0 प्र0–2–05/2014 2626 /पटना, दिनांक :– 4-10-24

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मधेपुरा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मो0 शाहिद आजम, तदेन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पत्राचार का पता:–वासीकुंज अपार्टमेन्ट, पो0–दानापुर, थाना–वीसकुंज, जिला–पटना, पिन कोड–801503, मो0न0–9162027411 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0 प्र0–2–05/2014 2626 /पटना, दिनांक :– 4.10.24

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 987 दिनांक 20.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0 प्र0–2–05/2014 2626 /पटना, दिनांक :– 4-10.24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव